

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2

PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 1, 2014/श्रावण 10, 1936

No. 29]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 1, 2014/SHRAVANA 10, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2014

सं. एस.-37025/02/2011-एसएस-I (पार्टी).—भारत के असाधारण राजपत्र में कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) के पुनर्गठन के संबंध में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 18 अक्टूबर, 2013 के संकल्प-एस-37025/02/2011-एसएस-I के अधिक्रमण में, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार एतद्वारा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 पर केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (सीएबी) को तत्काल प्रभाव से भंग करता है।

अनिल कुमार खाची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

RESOLUTION

New Delhi, the 1st August, 2014

No. S-37025/02/2011-SS-I (Pt.).—In supersession of this Ministry's Resolution No.S-37025/02/2011-SS.I, dated 18th October, 2013, regarding reconstitution of Central Advisory Board (CAB) on Employee's Compensation Act, 1923 published in the Gazette of India, Extraordinary, the Ministry of Labour and Employment, Government of India hereby dissolves the Central Advisory Board (CAB) on Employee's Compensation Act, 1923 with immediate effect.

ANIL KUMAR KHACHI, Jt. Secy.

3066 GI/2014